

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

पंद्रहवां सत्र

बुधवार, 10 अगस्त, 2022/19 श्रावण, 1944 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. शोकोद्गार:

स्वर्गीय सर्वश्री सुख राम, पूर्व सांसद एवं सदस्य, रूप सिंह चौहान, मस्त राम व श्री प्रवीण शर्मा, पूर्व सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्गार।

2. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित:

- (i) स्थगित } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे
(ii) दिन के लिए } जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे।

(2) अतारांकित:

- (i) स्थगित } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के
(ii) दिन के लिए } उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।

3. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मंत्री, वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे।

4. स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखे जाएंगे :

सचिव, विधान सभा, निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे, जिसे सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है:-

- (1) हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 7);
- (2) हिमाचल प्रदेश विनियोग(संख्यांक 2) विधेयक, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 8);

- (3) हिमाचल प्रदेश स्लम वासी(साम्पत्तिक अधिकारी) विधेयक, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 9);
- (4) हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 10); और
- (5) हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 11)।

5. अध्यादेश:

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 20.05.2022 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश के कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय अध्यादेश, 2022 (2022 का अध्यादेश संख्यांक 2) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखेंगे।

6. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

- (1) श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2022-23), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-
 - (i) समिति का 221वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा निर्वाचन विभाग से सम्बन्धित है;
 - (ii) समिति का 222वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा निर्वाचन विभाग से सम्बन्धित है;
 - (iii) समिति का 223वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा निर्वाचन विभाग से सम्बन्धित है;
 - (iv) समिति का 224वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा निर्वाचन विभाग से सम्बन्धित है;

- (v) समिति का 225वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **निर्वाचन विभाग** से सम्बन्धित है;
- (vi) समिति का 226वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **निर्वाचन विभाग** से सम्बन्धित है;
- (vii) समिति का 227वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **निर्वाचन विभाग** से सम्बन्धित है;
- (viii) समिति का 228वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **निर्वाचन विभाग** से सम्बन्धित है;
- (ix) समिति का 229वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **निर्वाचन विभाग** से सम्बन्धित है;
- (x) समिति का 230वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **निर्वाचन विभाग** से सम्बन्धित है;
- (xi) समिति का 231वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **आबकारी एवं कराधान विभाग** से सम्बन्धित है; और
- (xii) समिति का 232वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **आबकारी एवं कराधान विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) श्री बलबीर सिंह, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2022-23),

समिति का 48वां मूल प्रतिवेदन जोकि प्रदेश में संचालित "सुनिश्चित रोजगार के लिए योग्यता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण योजना" से सम्बन्धित गतिविधियों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

7. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

श्रीमती रीता देवी, "प्राचीन शिव मंदिर काठगढ़ के नजदीक स्थापित टोल टैक्स बैरियर को अन्यत्र स्थानांतरित करने पर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगी ।"

8. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल
श्री जगत सिंह नेगी
श्री बिक्रम सिंह जरयाल } प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश के वन क्षेत्रों में लगने वाली आग तथा अन्य क्षेत्रों में वर्षा से हो रहे भू-स्खलन एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों तथा सम्पत्तियों को हो रहे नुकसान से बचाव तथा राहत हेतु दी जाने वाली धनराशि बढ़ाने बारे यह सदन विचार करे ।"

शिमला-171004

दिनांक: 09 अगस्त, 2022

यशपाल शर्मा,

सचिव ।

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(पंद्रहवां सत्र)

बुधवार 10 अगस्त, 2022/ 19 श्रावण, 1944 (शक्) के लिए निर्धारित

"शुद्धिपत्र"

मद संख्या

शुद्धियां

तारांकित प्रश्न

कुल प्रश्न-41

*5215

"विलोप किये गए ।"

*5219

अतारांकित प्रश्न

कुल प्रश्न-25

2221

"विलोप किया गया ।"

शिमला-171004

दिनांक: 09.08.2022

यशपाल शर्मा,

सचिव ।
